तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/12/18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वादी किशन [illegible] अतिवादीगण खारिज किया जाता है। किन्तु निर्णय इसलिए [illegible] नामान्तरण शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] मुताबिक [illegible] नम्बर के [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०)	

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

गजेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्याम सुन्दर भारद्वाज उम साल जाति ब्राहमण निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. भौरू पुत्र मंगल **(फौत)**
   - 1/1 अमरसिंह उम साल
   - 1/2–गंगाराम उम साल

   पुत्रान स्व0 भौरू
   - 1/3–कमला उम साल
   - 1/4–फूलवती उम साल
   - 1/5–पिंकी उम साल
   - 1/6–रिंकी उम साल

   पुत्रीयान स्व0 भौरू

   1/7– श्रीवाई पत्नी स्व0 भौरू उम साल
2. सत्तू उम साल
3. किशोरी उम साल

   पुत्रान मंगल
4. रामप्रसाद पुत्र मंगल **(फौत)**
   - 4/1–मोहर सिंह आयु साल
   - 4/2–वदन आयु साल
   - 4/3–दयानन्द आयु साल

   पुत्रान स्व0 रामप्रसाद
   - 4/4–इमरती आयु साल
   - 4/5–केसन्ती आयु साल
   - 4/6–किन्ता आयु साल

   पुत्रीयान स्व0 रामप्रसाद

   4/7–पानो पत्नी स्व0 रामप्रसाद आयु साल

   सभी जातियान माली निवासीयान मैगजीन करौली
5. चरण पुत्र मंगल आयु साल जाति माली निवासी मैगजीन करौली
6. गिर्राज प्रसाद पुत्र गोकल चन्द आयु साल जाति महाजन निवासी केशवपुरा करौली तहसील व जिला करौली
7. छोटेलाल पुत्र धांधु उम्र साल जाति महाजन निवासी भूडारा करौली तहसील व जिला करौली राज0
8. मोहनपुत्र धांधु माली आयु साल
9. रामखिलाडी पुत्र धांधू माली आयु साल
10. हरी पुत्र धांधू माली आयु साल
11. गोपाल पुत्र धांधू माली आयु साल

    जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0
12. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा किये जाने सिवाचयक

मु.नं. 46/10

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री मुकेश कुमार शर्मा, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू **श्री रामजीलाल अग्रवाल, एडवोकेट** मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः वादी विरूद्व प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करें।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ..... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 20/12/26.....को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

मुदई	रूपया	पैसे	मुददायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना अर्जी		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–46 / 10 तारीख रजु:–28.7.10

उनवान

गजेन्द्र भारद्वाज पुत्र श्याम सुन्दर भारद्वाज उम्र साल जाति ब्राहमण निवासी चटीकना करौली तहसील व जिला करौली राज0

–वादी

बनाम

1. भौरू पुत्र मंगल **(फौत)**
   - 1/1 अमरसिंह उम्र साल
   - 1/2–गंगाराम उम्र साल

   ] पुत्रान स्व0 भौरू

   - 1/3–कमला उम्र साल
   - 1/4–फूलवती उम्र साल
   - 1/5–पिंकी उम्र साल
   - 1/6–रिंकी उम्र साल

   ] पुत्रीयान स्व0 भौरू

   1/7– श्रीवाई पत्नी स्व0 भौरू उम्र साल
2. सत्तू उम्र साल
3. किशोरी उम्र साल

   ] पुत्रान मंगल
4. रामप्रसाद पुत्र मंगल **(फौत)**
   - 4/1–मोहर सिंह आयु साल
   - 4/2–वदन आयु साल
   - 4/3–दयानन्द आयु साल

   ] पुत्रान स्व0 रामप्रसाद

   - 4/4–इमरती आयु साल
   - 4/5–केसन्ती आयु साल
   - 4/6–किन्ता आयु साल

   ] पुत्रीयान स्व0 रामप्रसाद

   4/7–पानो पत्नी स्व0 रामप्रसाद आयु साल

   सभी जातियान माली निवासीयान मैगजीन करौली
5. चरण पुत्र मंगल आयु साल जाति माली निवासी मैगजीन करौली
6. गिर्राज प्रसाद पुत्र गोकल चन्द आयु साल जाति महाजन निवासी केशवपुरा करौली तहसील व जिला करौली
7. छोटेलाल पुत्र धांधु उम्र साल जाति महाजन निवासी भूडारा करौली तहसील व जिला करौली राज0
8. मोहनपुत्र धांधु माली आयु साल
9. रामखिलाडी पुत्र धांधू माली आयु साल
10. हरी पुत्र धांधू माली आयु साल
11. गोपाल पुत्र धांधू माली आयु साल

    ] जातियान माली निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली राज0
12. तहसीलदार लैण्ड होल्डर तहसील करौली

–प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

दावा बाबत घोषणा किये जाने सिवाचयक

–::निर्णय::– दिनांक:– 20/2/2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी प्रार्थी शहर करौली का निवासी है। कस्बा करौली में पटवार हल्का में संवत् 2019 से संवत् 2022 में आराजीयात खसरा नंबर 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6937, 6938, 6939 कुल रकवा 20 वीघा 13 विस्वा मंगल पुत्र गिल्ली जाति माली के नाम दर्ज है सबूतन जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 वाद पत्र के साथ पेश है। कस्बा करौली में आराजीयात खसरा नंबर 6888, 6956, 6889, 6957, 6890, 6891, 6892, 6899, 6958, 6959 रकवा 23 वीघा 17 विस्वा मंगल पुत्र गोली के नाम दर्ज है। सबूतन जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 पेश है। प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 4 चालाक किस्म के व्यक्ति है और मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को बिना किसी जांच के प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 5 ने राजस्व कर्मियों से साज कर संवत् 2048 से 2051 में मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को अपने नाम गलत तरीके से इन्द्राज करवा लिया है और उक्त जमीनों में प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण नंबर 7 लगायत 12 को बेच दिया है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही है और प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 5 ने गलत व अवैध तरीके से अवैधानिक रू५ से बिना किसी आदेश के मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया हैं जबकि उक्त भूमि मंगल पुत्र गिल्ली की मृत्यु के पश्चात सिवायचक दज्र होनी चाहिए थी। इस तरह मंगलपुत्र गिल्ली के नाम की भूमि को मंगल पुत्र गोली के नाम दर्ज करने का पटवारी हल्का व तहसीलदार करौली को कोई अधिकार नही था और इस तरह का बेचान अवैध व शून्य है। इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद दावा घोषणा किया जाना आवश्यक आया है एवं वादी प्रतिवादीगण के विरूद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वे इस तरह गलत इन्द्राज के आधार पर मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

अवैधाानिक तरीके से प्रतिवादीगण के नाम कराली है जो सिवायचक राजकीय भूमि है में किसी प्रकार का कब्जा न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। दावा अंदर मियाद पेश है। दावा वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी नंबर 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी नबर 1, 2, 4, 5, 6, 7 द्वारा जबावदावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि दावा सिविल कोर्ट के इख्तियार समाअत का है श्रीमान के यहां दावा चलने योग्य नही है क्योंकि दावे के अन्दर जो दादरसी एवं प्लीडिंग है उनसे यह बात स्पष्ट है कि ना तो वादी टीनेंट की हैसियत में दावा लाया है ना ही वह भेज जमा कराता है और ना ही उसका कोई कब्जा है तथा वह जो दावा लाया है कराता है और ना ही उसका कोई कब्जा है तथा वह जो दावा लाया है उसमें यह दादरसी चाही गई है कि जमीन को सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज्य लिये जाने के आदेश प्रदान करें।इस प्रकार की दादरसी रेवेन्यू सूट मे ना तो डिसाईट की जा सकती है ना ही धारा 207 आर0टी0एक्ट की परिधि में उक्त दावा आता है। ऐसी सूरत में दावा गैर कानूनी होने के कारण खारिज होने योग्य है दावा वैरून मियाद भी है इसलिए भी खारिज होने योग्य है। जहां पर तहसीलदार करौली को आवश्यक पक्षकार बताया जाता है। वहां पर सी0पी0सी0 की धारा 80(2) के तहत दावा लाने से पूर्व परमीशन लेना आवश्यक है। परन्तु मौजूदा दावे में कोई परमीशन लेकर दावा पेश नही किया गया है ऐसी सूरत में दावा खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात को जिस तरह पर मंगल पुत्र गिल्ली के नाम होना लिखा है वह एक गलत बात है हम प्रतिवादीगण मंगल की सन्ताने है तथा मंगल के पिता का नाम गोली उर्फ गिल्ली था तथा गोली और गिल्ली कोई दो व्यक्ति नही थे बल्कि एक ही व्यक्ति था। हम प्रतिवादीगण के भाई किशोरी की मृत्यु करीब 3 साल पूर्व हो चुकी है तथा वादीगण का दावा दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

27/7/10 को पेश किया गया है और मेरे व्यक्ति के खिलाफ दावा मेन्टीनेविल नही है तथा दावा हाजा खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने दावे के पैरा नं0 1 व पैरा नं0 2 मे जिन आराजीयात का हवाला दिया है वह समस्त आराजीयात गोली उर्फ गिल्ली के पुत्र मंगल की रही है तथा मंगल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात को काश्त किया तथा मंगल को फौत हुए करीब 15–20 साल का अर्सा हो चुका है उनके जीवन काल मे ही उक्त आराजीयात मंगल ने अपने नाम कराली मंगल की जिन्दगी में उसके साथ्ज्ञ तथा उसकी फौती के बाद से लगातार हम प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। तथा विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकारी की हैसियत में है। ऐसी सूरत में वादी को कोई हक हमारे खिलाफ दावा लाने का नही है। हम प्रतिवादीगण भौरू, सत्तू, रामप्रसाद, चरण इत्यादि द्वारा वादी गजेन्द्र के विरूद दावा विवादित आराजीयात बाबत् दिनांक–9.12.09 को पेश किया जा चुका है जिसमें वादी गजेन्द्र की ओर से वकील श्री बाबूलाल शर्मा दिनांक 11.3.10 को वकालतनामा पेश कर चुके है तथा जवाब भी पेश कर चुके है हम प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये दावे का उनवान भौरू बनाम गजेन्द्र वगैरह दावा माननीय न्यायालय में दिनांक–28.4.11 में नियम है ऐसी सूरत में गजेन्द्र द्वारा बाद में पेश किया हुआ दावा चलने योग्य नही है तथा खारिज होने योग्य है क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण गजेन्द्र से बदयान्ति वश दावा पेश किया है जो खाजिर होने योग्य है। दावा धारा 207 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नही है क्योंकि वादी गजेन्द्र ने स्वयं को खातेदार बताया है ना ही भेज जमा कराई है ना ही किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लेख दावे में किया है ऐसी सूरत में दावा चलने योग्य नही खारिज होने योग्य है। तहसीलदार करौली को आवश्यक पक्षकार बताये जाने के बावजूद भी धारा 80(2) सी0पी0सी0 की परमीशन नही ली गई है ऐसी सूरत में तहसीलदार करौली के विरूद दावा चलने योग्य नही है। किशोरी मृतक जो करीब 3 साल पूर्व मर चुका है के विरूद दावा 2010 में पेश किया है मरे हुऐ के विरूद

2-11
उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

दावा चलने योग्य नही इसलिए दावा हाजा खारिज होने योग्य है। दावा बैरून मियाद होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि हम प्रतिवादीगण व हमारे पिता व बाबा की खातेदारी पिछले पचासों वर्षों से चली आ रही है इतने लम्बे अर्से के बाद वादी रिवाज पर घोषित कराने का दावा लाया है जबकि हम प्रतिवादीगण की फसले गेहूं, बाजरा, सरसों साब्जी इत्यादि विवादित आराजीयात में काश्त की जाती है। हम प्रतिवादीगण गिर्राज व छोटेलाल के विरूद्ध कोई भी आरोप दावे की प्लीडिंग में नही है ना ही दावे में यह लिखा है कि हमे क्यों और किस लिए फरीक मुकदमा बनाया गया है ऐसी सूरत में बेग प्लीडिंग से यह बात स्पष्ट होती है कि मात्र हमें से जेरबार करने व तंग परेशान कर हैरेशमेन्ट में डालकर हमें दावा हाजा में फरीक बनाया गया है ऐसी सूरत मे हम वादी गजेन्द्र से अपने खर्चे बाबत् व परेशानी बाबत् कम से कम 2000/–रूपये कोस्ट के साथ दावे हाजा को खारिज करने की प्रार्थना करते है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है एवं प्रतिवादी नंबर 8 ता 11 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6937, 6938, 6939 कुल रकवा 20 वीघा 13 का कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार है शेष इबारत गलत है एवं स्वीकार नही है। दावा बेरून मियाद है। आराजीयात स्थित वाके कस्बा करौली भौरू, सत्तू, किशोरी रामप्रसाद व चरण के खाते व कब्जे काश्त की स्थित है उक्त आराजीयात में से प्रतिवादी नं0 8 मोहन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ललती, भौरू, सत्तू एवं रामप्रसाद से आराजी खसरा नंबर 6930 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा में से 4/6 हिस्सा दिनांक 18.1.99 को क्रय किया है इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 11 हरी ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सत्तू पुत्र मंगल से आराजी खसरा नम्बर 6929 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा का 1/6 हिस्सा दिनांक 18.1.99 को क्रय किया है व प्रतिवादी नं0 9 रामखिलाडी ने भी जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.4.2001 को आराजी खसरा नं0 6930 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा का 1/6 हिस्सा किशोरी से क्रय किया है। व

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

प्रतिवादी नं0 9 रामखिलाडी ने दिनांक 18.1.99 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी खसरा नं0 6929 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा का 2/6 हिस्सा रामप्रसाद पुत्र मंगल ललती बेवा मंगल से क्रय किया है इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 10 गोपाल ने दिनांक 18.1.99 को ही जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र आराजी खसरा नम्बर 6929 में रकवा 3 वीघा 8 विस्वा में से भौरू पुत्र मंगल से 1/6 हिस्सा क्रय किया है इस प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्बर 6929 व 6930 कस्वा करौली पर खरीद के दिनांक से आज तक हम प्रतिवादीगण 8 लगायत 11 तक बना उक्त खरीदसुदा आराजीयात पर बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है एवं इससे पूर्व मंगल के जमाने से ही उक्त आराजी पर मंगल व उसके बाद उसके लडके भौरू सत्तू, किशोरी, रामप्रसाद व चरण का बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है वादी का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर एडबर्स एण्ड होस्टाईल एण्ड ओपन पजेसन है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वादीगण व प्रतिवादीगण के अभिवचनों के आधार पर निम्न विवाद्यक बिन्दु विरचित किये गयेः–

1. आया विवादित आराजीयात दर्ज वाद पत्र मद नं0 1 मंगल पुत्र गिल्ली माली के खातेदारी की है। वादी उक्त आराजीयात को सिवायचक घोषित कराने के अधिकारी हैं और प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का अधिकारी है।

——वादी

2. आया वादी को दावा दायर करने का अधिकार नहीं है।

——प्रतिवादीगण

3. आया दावा वादी म्याद बाहर है चलने योग्य नहीं है।

——प्रतिवादीगण

4. आया प्रति. किशोरी के फौत हुये तीन साल हो चुके अतः दावा ऐबिट होने से चलने योग्य नहीं है।

——प्रतिवादीगण

5. आया दावा वादी बिना धारा 80 सीपीसी की परिमीसन लिये चलने योग्य नहीं है।

——प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

6. अनुतोषः–

वाद विवाद्यक बिन्दू वादी साक्ष्य ली गई। वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में वादी पीडब्ल्यू–1 गजेन्द्र के बयान लेखबद्व कराये है एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2064–67 किता 5 पेश कर प्रदर्शित कराये है। साक्ष्य वादी समाप्त कर बंद की गई।

प्रतिवादीगण ने अपनी मौखिक साक्ष्य में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 17.02.2026 को साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

बहस वकील वादीगण का कथन है कि वादी प्रार्थी शहर करौली का निवासी है। कस्बा करौली में पटवार हल्का में संवत् 2019 से संवत् 2022 में आराजीयात खसरा नंबर 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6937, 6938, 6939 कुल रकवा 20 वीघा 13 विस्वा मंगल पुत्र गिल्ली जाति माली के नाम दर्ज है सबूतन जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 वाद पत्र के साथ पेश है। कस्बा करौली में आराजीयात खसरा नंबर 6888, 6956, 6889, 6957, 6890, 6891, 6892, 6899, 6958, 6959 रकवा 23 वीघा 17 विस्वा मंगल पुत्र गोली के नाम दर्ज है। सबूतन जमाबंदी संवत् 2019 से 2022 पेश है। प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 4 चालाक किस्म के व्यक्ति है और मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को बिना किसी जांच के प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 5 ने राजस्व कर्मियों से साज कर संवत् 2048 से 2051 में मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को अपने नाम गलत तरीके से इन्द्राज करवा लिया है और उक्त जमीनों में प्रतिवादीगण ने प्रतिवादीगण नंबर 7 लगायत 12 को बेच दिया है जिसका उन्हें कोई कानूनी अधिकार नही है और प्रतिवादीगण नंबर 1 लगायत 5 ने गलत व अवैध तरीके से अवैधानिक रूप से बिना किसी आदेश के मंगल पुत्र गिल्ली के

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

खातेदारी की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा लिया है जबकि उक्त भूमि मंगल पुत्र गिल्ली की मृत्यु के पश्चात सिवायचक दर्ज होनी चाहिए थी। इस तरह मंगलपुत्र गिल्ली के नाम की भूमि को मगल पुत्र गोली के नाम दर्ज करने का पटवारी हल्का व तहसीलदार करौली को कोई अधिकार नही था और इस तरह का बेचान अवैध व शून्य है। इसलिये प्रतिवादीगण के विरूद दावा घोषणा किया जाना आवश्यक आया है एवं वादी प्रतिवादीगण के विरूद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है कि वे इस तरह गलत इन्द्राज के आधार पर मंगल पुत्र गिल्ली के खातेदारी की भूमि को अवैधाानिक तरीके से प्रतिवादीगण के नाम कराली है जो सिवायचक राजकीय भूमि है में किसी प्रकार का कब्जा न तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावें। दावा अंदर मियाद पेश है। अंत में दावा वादी डिक्री किया जावे।

वकील प्रतिवादी का बहस में कथन है कि दावा सिविल कोर्ट के इख्तियार समाअत का है श्रीमान के यहां दावा चलने योग्य नही है क्योंकि दावे के अन्दर जो दादरसी एवं प्लीडिंग है उनसे यह बात स्पष्ट है कि ना तो वादी टीनेंट की हैसियत में दावा लाया है ना ही वह भेज जमा कराता है और ना ही उसका कोई कब्जा है तथा वह जो दावा लाया है कराता है और ना ही उसका कोई कब्जा है तथा वह जो दावा लाया है उसमें यह दादरसी चाही गई है कि जमीन को सिवायचक दर्ज कर कब्जे राज्य लिये जाने के आदेश प्रदान करें।इस प्रकार की दादरसी रेवेन्यू सूट मे ना तो डिसाईट की जा सकती है ना ही धारा 207 आर0टी0एक्ट की परिधि में उक्त दावा आता है। ऐसी सूरत में दावा गैर कानूनी होने के कारण खारिज होने योग्य है दावा वैरून मियाद भी है इसलिए भी खारिज होने योग्य है। जहां पर तहसीलदार करौली को आवश्यक पक्षकार बताया जाता है। वहां पर सी0पी0सी0 की धारा 80(2) के तहत दावा लाने से पूर्व परमीशन लेना आवश्यक है। परन्तु मौजूदा दावे में कोई परमीशन लेकर दावा पेश नही किया गया है ऐसी सूरत में दावा खारिज होने योग्य है। विवादित आराजीयात को जिस तरह पर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मंगल पुत्र गिल्ली के नाम होना लिखा है वह एक गलत बात है हम प्रतिवादीगण मंगल की सन्ताने है तथा मंगल के पिता का नाम गोली उर्फ गिल्ली था तथा गोली और गिल्ली कोई दो व्यक्ति नही थे बल्कि एक ही व्यक्ति था। हम प्रतिवादीगण के भाई किशोरी की मृत्यु करीब 3 साल पूर्व हो चुकी है तथा वादीगण का दावा दिनांक 27/7/10 को पेश किया गया है और मेरे व्यक्ति के खिलाफ दावा मेन्टीनेविल नही है तथा दावा हाजा खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने दावे के पैरा नं0 1 व पैरा नं0 2 मे जिन आराजीयात का हवाला दिया है वह समस्त आराजीयात गोली उर्फ गिल्ली के पुत्र मंगल की रही है तथा मंगल ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजीयात को काश्त किया तथा मंगल को फौत हुए करीब 15–20 साल का अर्सा हो चुका है उनके जीवन काल मे ही उक्त आराजीयात मंगल ने अपने नाम कराली मंगल की जिन्दगी में उसके साथ्ज्ञ तथा उसकी फौती के बाद से लगातार हम प्रतिवादीगण काश्त कर रहे है। तथा विवादित आराजीयात के खातेदार काश्तकारी की हैसियत में है। ऐसी सूरत में वादी को कोई हक हमारे खिलाफ दावा लाने का नही है। हम प्रतिवादीगण भौरू, सत्तू, रामप्रसाद, चरण इत्यादि द्वारा वादी गजेन्द्र के विरूद दावा विवादित आराजीयात बाबत् दिनांक–9.12.09 को पेश किया जा चुका है जिसमें वादी गजेन्द्र की ओर से वकील श्री बाबूलाल शर्मा दिनांक 11.3.10 को वकालतनामा पेश कर चुके है तथा जवाब भी पेश कर चुके है हम प्रतिवादीगण द्वारा पेश किये गये दावे का उनवान भौरू बनाम गजेन्द्र वगैरह दावा माननीय न्यायालय में दिनांक–28.4.11 में नियम है ऐसी सूरत में गजेन्द्र द्वारा बाद में पेश किया हुआ दावा चलने योग्य नही है तथा खारिज होने योग्य है क्योंकि व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण गजेन्द्र से बदयान्ति वश दावा पेश किया है जो खाजिर होने योग्य है। दावा धारा 207 आर0टी0एक्ट के प्रावधानों के तहत चलने योग्य नही है क्योंकि वादी गजेन्द्र ने स्वयं को खातेदार बताया है ना ही भेज जमा कराई है ना ही किसी प्रकार के अधिकारों का उल्लेख दावे में किया है ऐसी सूरत में दावा चलने

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

योग्य नही खारिज होने योग्य है। तहसीलदार करौली को आवश्यक पक्षकार बताये जाने के बावजूद भी धारा 80(2) सी0पी0सी0 की परमीशन नही ली गई है ऐसी सूरत में तहसीलदार करौली के विरूद दावा चलने योग्य नही है। किशोरी मृतक जो करीब 3 साल पूर्व मर चुका है के विरूद दावा 2010 में पेश किया है मरे हुऐ के विरूद दावा चलने योग्य नही इसलिए दावा हाजा खारिज होने योग्य है। दावा बैरून मियाद होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योकि हम प्रतिवादीगण व हमारे पिता व बाबा की खातेदारी पिछले पचासों वर्षो से चली आ रही है इतने लम्बे अर्से के बाद वादी रिवाज पर घोषित कराने का दावा लाया है जबकि हम प्रतिवादीगण की फसले गेहूं, बाजरा, सरसों सब्जी इत्यादि विवादित आराजीयात में काश्त की जाती है। हम प्रतिवादीगण गिर्राज व छोटेलाल के विरूद्व कोई भी आरोप दावे की प्लीडिंग में नही है ना ही दावे में यह लिखा है कि हमे क्यों और किस लिए फरीक मुकदमा बनाया गया है ऐसी सूरत में बेग प्लीडिंग से यह बात स्पष्ट होती है कि मात्र हमें से जेरबार करने व तंग परेशान कर हैरेशमेन्ट में डालकर हमें दावा हाजा में फरीक बनाया गया है ऐसी सूरत मे हम वादी गजेन्द्र से अपने खर्चे बाबत् व परेशानी बाबत् कम से कम 2000/–रूपये कोस्ट के साथ दावे हाजा को खारिज करने की प्रार्थना करते है। अंत में दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया है एवं प्रतिवादी नंबर 8 ता 11 द्वारा जबाव दावा प्रस्तुत कर कथन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 6924, 6925, 6926, 6927, 6928, 6929, 6930, 6937, 6938, 6939 कुल रकवा 20 वीघा 13 का कस्बा करौली में स्थित होना स्वीकार है शेष इबारत गलत है एवं स्वीकार नही है। दावा बेरून मियाद है। आराजीयात स्थित वाके कस्बा करौली भौरू, सत्तू, किशोरी रामप्रसाद व चरण के खाते व कब्जे काश्त की स्थित है उक्त आराजीयात में से प्रतिवादी नं0 8 मोहन ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ललती, भौरू, सत्तू एवं रामप्रसाद से आराजी खसरा नंबर 6930 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा में से 4/6 हिस्सा दिनांक 18.1.99 को क्रय किया है इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 11 हरी ने जरिये

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज.)

रजिस्टर्ड विकय पत्र सत्तू पुत्र मंगल से आराजी खसरा नम्बर 6929 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा का 1/6 हिस्सा दिनांक 18.1.99 को कय किया है व प्रतिवादी नं0 9 रामखिलाडी ने भी जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 18.4.2001 को आराजी खसरा नं0 6930 रकवा 2 वीघा 7 विस्वा का 1/6 हिस्सा किशोरी से कय किया है। व प्रतिवादी नं0 9 रामखिलाडी ने दिनांक 18.1.99 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र आराजी खसरा नं0 6929 रकवा 3 वीघा 8 विस्वा का 2/6 हिस्सा रामप्रसाद पुत्र मंगल ललती बेवा मंगल से कय किया है इसी प्रकार प्रतिवादी नं0 10 गोपाल ने दिनांक 18.1.99 को ही जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र आराजी खसरा नम्बर 6929 में रकवा 3 वीघा 8 विस्वा में से भौरू पुत्र मंगल से 1/6 हिस्सा कय किया है इस प्रकार उक्त आराजी खसरा नम्बर 6929 व 6930 कस्वा करौली पर खरीद के दिनांक से आज तक हम प्रतिवादीगण 8 लगायत 11 तक बना उक्त खरीदसुदा आराजीयात पर बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है एवं इससे पूर्व मंगल के जमाने से ही उक्त आराजी पर मंगल व उसके बाद उसके लडके भौरू सत्तू, किशोरी, रामप्रसाद व चरण का बेरोकटोक कब्जा चला आ रहा है वादी का उक्त आराजीयात में किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर एडवर्स एण्ड होस्टाईल एण्ड ओपन पजेसन है। अंत में दावा वादी खारिज किया जावे।

बहस वकील वादीगण व प्रतिवादीगण का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड एवं दस्तावेजो एवं साक्ष्य वादीगण व प्रतिवादीगण का विवेचन किया गया प्रकरण का तनकी वार विवेचन किया जाना उचित है तनकी वार विवेचन निम्न प्रकार है :–

विवाद्यक संख्या 1 को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने इस संबंध में मंगल की खातेदारी भूमि होने के संबंध में नकल जमाबंदी संवत 2064–67 प्रस्तुत की है। जिसमें वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। वादी ने अपने वादपत्र में प्रतिवादीगण द्वारा मंगल की भूमि की अवैध खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

होना बताया है परन्तु वादी ने मंगल का वारिस होने का कोई दस्तावेज राजस्व रिकॉर्ड पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे भूमि में वादी के हक को खातेदारी निहित हो। प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में भूमि प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज है। अतः विवाद्यक संख्या 1 को वादी अपने हक साबित करने में असफल रहा है। इसलिए विवाद्यक संख्या 1 वादी के विरूद्व प्रतिवादीगण के पक्ष में तय कर निर्णित किया जाता है।

विवाद्यक संख्या 2 ता 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर है। प्रतिवादीगण द्वारा इन विवाद्यक के संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं की है। अतः विवाद्यक संख्या 2 ता 5 प्रतिवादीगण के विरूद्व वादी के पक्ष में तय कर निर्णित किये जाते है।

विवाद्यक संख्या 6 अनुतोष है। विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से वादग्रस्त भूमि में वादी के कोई हक हकूक खातेदारी होना प्रकट नहीं होता है। वादी मंगल का विधिक वारिस भी नहीं है। वादी को मंगल की भूमि के संबंध में कोई घोषणा कराने का हक व अधिकार प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है। वादी भूमि को सिवायचक घोषित कराने का हकदार नहीं है। दावा वादी वादकारण के अभाव में एवं मंगल का विधिक वारिस नहीं होने से एवं भूमि में वादी के भूमि में कोई खातेदारी अधिकार निहित नहीं होने से दावा वादी चलने योग्य नहीं है। खारिज होने योग्य है।

अतः दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 20/12/2026 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली